कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1415112 दिनांक 09-01-2015

पत्र संख्या-क्षेत्राधिकार सचल दल // 2013-14 2151 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(सचलदल- अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक :: 09 जनवरी ,2015

-::आदेश::-

मुख्यालय के आदेश संख्या-पत्र संख्या-क्षेत्राधिकार सचल दल // 2013-14 /1601/ वाणिज्य कर दिनॉक 07-10-2013 (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1314060 दिनॉक 07-10-2013) एवं निर्देश पत्र संख्या-स0द0 टी0डी0एफ0/ 13-14/ 2692 / वाणिज्य कर दिनांक 26-02-2014 (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-131133 दिनॉक 26-02-2014) द्वारा राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य से होते हुए राज्य के बाहर गन्तव्य के लिए जाने वाले माल सहित वाहन के परिप्रेक्ष्य में लागू की गयी व्यवस्था का समुचित अनुपालन न करने वाले तथा निर्देशानुसार पारगमन पत्र की खारिजी न करने आदि विसंगतियों के सम्बन्ध में विधि सम्मत अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य कर नियमावली 2008 के नियम 6 के उप नियम (7) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के घोषित 41 प्रवेश स्थलों एवं गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा एवं गाजियाबाद जोन द्वितीय के लिये अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

2- फेल बहती के वादों की संख्या अत्याधिक होने तथा समय से ऐसे वादों का निस्तारण कराये जाने के उद्देश्य से नामित कर निर्धारण अधिकारियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 6 के उप नियम (7) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रकरणो में विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रदेश में घोषित प्रवेश स्थलों से संबंधित वाणिज्य कर मण्डल / सम्भाग / जोन में कार्यरत सचल दल इकाईयों के समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) सचलदल को भी पदनाम से कर निर्धारण अधिकारी नामित किया जाता है। इसी प्रकार उक्त नामित कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर से जोन स्तर पर वादों के हस्तान्तरण हेतु जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्राधिकृत किया जाता है।

3- पूर्व में नामित अधिकारियों के पास फेल बहती से संबंधित जो भी वाद लम्बित है उनमें से ऐसे वाद जिनमें उनके स्तर से कार्यवाही गतिमान है, का निस्तारण पूर्व नामित अधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा। अवशेष समस्त वादों की सूची पूर्व नामित अधिकारी अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर को तत्काल सचलदल अधिकारियों को हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायेगें।

4- जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने जोन मे स्थित प्रवेश स्थल से संबंधित फेल बहती के वादो की सूची एवं हस्तान्तरण हेतु प्राप्त वादों की समेकित सूची तैयार कराकर समानुपातिक रुप से वादो को अपने स्तर से जोन में कार्यरत समस्त सचल दल इकाईयों के प्रभारी असिस्टेन्ट कमिश्नर के मध्य हस्तान्तरण किया जाना सुनिश्चित करें।

5- फेल बहती के वादों के प्रकरण में नामित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे प्राप्त समस्त वादों के सम्बन्ध में पूर्व की भांति मुद्रित प्रारुप पर आर-5 (ए) (पेन्डेंसी रजिस्टर) तैयार कर उसके अनुसार वादों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक समस्त विधिक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए वादो का निस्तारण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर अर्थदण्ड / कर निर्धारण कार्यवाही तथा वसूली के संबंध में ऐसे प्रकरणों के पर्यवेक्षणीय अधिकारी होगें। प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी वाद कालबाधित न होने पाये।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2- अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश।

(वी0 के0 शुक्ला)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।